



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 13.02.2021

1-थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.02.2021 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त विकास पुत्र स्व गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम बहरामपुर थाना विजय नगर गाजियाबाद को सेक्टर 22 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर 24 नोएडा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 96/2021 धारा 354/354डी व 11/12 पोक्सो एक्ट में वांछित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विकास पुत्र स्व गजेंद्र सिंह निवासी बहरामपुर थाना विजय नगर गाजियाबाद

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 96/2021 धारा 354/ 354 डी व 11/12 पोक्सो एक्ट थाना सेक्टर 24 नोएडा



2-थाना दादरी पुलिस द्वारा गोवंश तस्कर(25000 रूपये का ईनामी अभियुक्त) पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से एक स्कूटी व अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 12.2.2021 की रात्रि थाना दादरी पुलिस द्वारा गोवंश तस्कर(25000 रूपये का ईनामी अभियुक्त) राशीद उर्फ मोटा पुत्र करीमुल्ला नि0 गुलावटी बुलन्दशहर को सर्विस रोड बाईपास दादरी के पास पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा की गयी आत्म रक्षार्थ फायरिंग मे अभियुक्त राशिद उर्फ मोटा उपरोक्त के पैर मे गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु सीएचसी अस्पताल दादरी भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर 02 जिंदा कारतूस 01 खोखा कारतूस, 01 स्कूटी होण्डा एक्टिवा यूपी 13 एच 8901 को बरामद किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का गौ तस्कर है। गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 06.01.2021 को ग्राम रिठौरी थाना दादरी क्षेत्र के शमशान घाट के पास गोकशी करने की घटना में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राशीद उर्फ मोटा पुत्र करीमुल्ला नि0 गुलावटी बुलन्दशहर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 10/2021 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 14/2021 धारा 147,148,149,307,34 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 93/2021 धारा 147,148,149,307,34 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 94/2021 धारा 8 गोवध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 98/2021 धारा 307 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
- 6.मु0अ0सं0 99/2021 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
- 7.मु0अ0सं0 634/19 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना गुलावठी बुलन्दशहर
- 8.मु0अ0सं0 008/20 धारा 307 भादवि थाना गुलावठी बुलन्दशहर
9. मु0अ0सं0 13/20 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना गुलावठी बुलन्दशहर
- 10.मु0अ0सं0 15/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना गुलावठी बुलन्दशहर
- 11.मु0अ0सं0 632/20 धारा 2/3 गैग अधि0 थाना गुलावठी बुलन्दशहर
- 12.मु0अ0सं0 183/2004 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी बुलन्दशहर

13. मु०अ०सं० 310/2004 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
14. मु०अ०सं० 189/2007 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
15. मु०अ०सं० 167/2008 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
16. मु०अ०सं० 419/2009 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
17. मु०अ०सं० 65/2002 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
18. मु०अ०सं० 35/2010 धारा 392 भादवि थाना गुलावठी बुलन्दशहर
19. मु०अ०सं० 382/2011 धारा 307,323,504,506 भादवि थाना गुलावठी बुलन्दशहर
20. मु०अ०सं० 347/2016 धारा 147,148,149,302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
21. मु०अ०सं० 142/2014 धारा 3(1) गुण्डा अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
22. मु०अ०सं० 211/2013 धारा 395,397,393,332,353,336,427 भादवि व 7 सीएल एक्ट व 3/5 राष्ट्रीय सम्पत्ति अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
23. मु०अ०सं० 166/2013 धारा 420,411,414 भादवि व 41/102 द०प्र०सं० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
24. मु०अ०सं० 221/2012 धारा 3(1) गुण्डा अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
25. मु०अ०सं० 15/2012 धारा 110 जी द०प्र०सं० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
26. मु०अ०सं० 350/2011 धारा 364 भादवि थाना गुलावठी बुलन्दशहर
27. मु०अ०सं० 704/2017 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
30. मु०अ०सं० 279/2017 धारा 147/307 भादवि व 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
31. मु०अ०सं० 292/2017 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
32. मु०अ०सं० 299/2017 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
33. मु०अ०सं० 29/2018 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
34. मु०अ०सं० 69/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
35. मु०अ०सं० 366/2018 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर
36. मु०अ०सं० 219/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि० थाना गुलावठी बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोरे 02 जिन्दा कारतूस 01 खोखा कारतूस
2. 01 स्कूटी होण्डा एक्टिवा यूपी 13 एच 8901

3- थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा 02 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल व 30 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 02 लाख 40 हजार रूपये) बरामद।

दिनांक 12.02.2021 को थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1.डब्लू बंजारा पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अर्जुनपुर नंगला बंजारा थाना गवाना जिला अलीगढ 2.गुड्डू ठाकुर पुत्र लालाराम निवासी ग्राम अर्जुनपुर नंगला बंजारा थाना गवाना जिला अलीगढ को चोरी की मोटर साइकिल सीटी 100 बिना नम्बर पर 30 किलोग्राम अवैध गाँजा ले जाते हुये जयसवाल कट बैरियर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से 30 किलोग्राम अवैध गाँजा व एक चोरी की मोटर साइकिल सीटी 100 बिना नम्बर बरामद हुयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इकोटेक 03 पर मु0अ0सं0 82/20 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व मु0अ0सं0 83/20 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.डब्लू बंजारा पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अर्जुनपुर नंगला बंजारा थाना गवाना जिला अलीगढ
- 2.गुड्डू ठाकुर पुत्र लालाराम निवासी ग्राम अर्जुनपुर नंगला बंजारा थाना गवाना जिला अलीगढ

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 82/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 83/20 धारा 414 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक मोटर साइकिल सीटी-100 बिना नम्बर (चोरी की)
2. 30 किलोग्राम गाँजा

4- थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 01 वांछित अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 13.02.2021 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त लक्ष्मण उर्फ रॉकी पुत्र लालाराम नि0 भीमनगर बी-92 गली नं0 2 थाना विजयनगर गाजियाबाद को एसजेएम कट छिजारसी के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस 3 पर पंजीकृत मु.अ.सं 94/21 धारा 363/366 भादवि का वांछित अपराधी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लक्ष्मण उर्फ रॉकी पुत्र लालाराम नि0 भीमनगर बी-92 गली नं0 2 थाना विजयनगर गाजियाबाद

अभियोग का विवरण-

मु.अ.सं 69/2021 धारा 323,504,506,354,498ए भादवि 3/4 दहेज अधि0



5- थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.02.2021 का थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा 02 वांछित संजय कुमार सिंह तथा उसके साथी फारुख को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा सेक्टर 8 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर 24 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0स0 0097/2021 धारा 420, 467, 468, 471, 504,506 भा0द0वि0 में वांछित था जो नोएडा प्राधिकरण के नाम से खुद को नोएडा प्राधिकरण का कर्मचारी बताकर सेक्टर 122 में लोगों को फ्लैट व नोएडा प्राधिकरण की दुकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी कागज तैयार कर रुपये की ठगी करता था।

विवरण-

वर्ष 2019 में ग्राम गिझोड़ में सैलून की दुकान चलाने वाले श्री सोमपाल श्रीवास्तव (वादी मुकदमा) पुत्र श्री टोड़ीलाल निवासी- ग्राम गिझोड़ सेक्टर 53 नोएडा से पड़ौस में एसी मैकेनिक का काम करने वाले फारुख पुत्र बसीर खान निवासी सी 490 गली न0 24 मुल्ला कॉलोनी थाना गाजीपुर दिल्ली से मुलाकात हुई थी फारुख द्वारा संजय कुमार सिंह पुत्र श्री इन्द्र बहादुर सिंह निवासी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 8 बी- 40 के सामने नोएडा सोमपाल की मुलाकात करायी गई संजय कुमार अपने आप को नोएडा प्राधिकरण का कर्मचारी बताता था । फारुख ने सोमपाल श्रीवास्तव को बताया था कि संजय नोएडा प्राधिकरण में नौकरी करते हैं । इनकी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से जान पहचान है । इन्होंने मेरा झुग्गी झोपड़ी वाला सेक्टर 122 में फ्लैट बुक कराया है आप भी करा लो । मेरा फ्लैट बुक हो गया है । कुछ दिन में मुझे चाबी मिलने वाली है तो संजय कुमार सिंह और फारुख द्वारा प्राधिकरण से सोमपाल श्रीवास्तव को सोमपाल की पत्नी व सास के नाम से दो फ्लैट झुग्गी झोपड़ी वाले सेक्टर 122 में और बाद में 4 दुकान दिलाने की बात कही थी और पूरा विश्वास दिलाकर धीरे धीरे करीब 7 लाख 50 हजार रुपये जिसमें से कुछ रुपये नगद तथा कुछ रुपये फोन पे के माध्यम से ले लिए और बैंक की फर्जी रशीद राशन कार्ड आदि कागज बनाकर दे दिये । इसी क्रम में ग्राम गिझोड़ में किराये पर निवास करने वाले श्री विक्रम पुत्र पोहलुराम शर्मा मूल निवासी ग्राम ढाबी खुर्द थाना बट्टू कला जिला फतेहाबाद हरियाणा से 1 लाख 51 हजार रुपये , मनीष कुमार राय पुत्र रामपुकार से 1 लाख 16 हजार और संतोष कुमार झा पुत्र श्री हरेकान्त झा से 1 लाख 16 हजार रुपये नगद और 34 हजार रुपये अपने फोन पे पर आनलाईन फ्लैट की बुकिंग, फाइल चार्ज , रजिस्ट्री विजली कनेक्शन आदि के नाम पर हड़प लिये हैं । लोगों से रुपये लेने के बाद ये लोग आपस में बांट लेते थे और लोगों को फ्लैट के नोएडा अथॉर्टी के फर्जी कागज बनाकर दे देते थे । जब काफी समय के बाद भी लोगों को फ्लैट नहीं मिले तो लोगो ने प्राप्त रशीदो को बैंक तथा नोएडा प्राधिकरण में जाकर चैक कराया गया तो अभि0 के द्वारा दी गयी रशीद फर्जी पायी गयी । इसके अलावा अभियुक्त संजय कुमार सिंह के पास से हमारी खबर प्रेस का आई कार्ड भी मिला है । जिसके बारे में इसने बताया कि वह पूर्व में इसमें भी कार्य करता था और इस कार्ड को लोगों पर रौब गांठने के लिए साथ रखता है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

- 1.संजय कुमार सिंह पुत्र इन्द्रबहादुर सिंह निवासी बी 40 के सामने झुग्गी सेक्टर 8 थाना सेक्टर 20 नोएडा
- 2.फारुख पुत्र वसीर खान निवासी सी 490 गली न0 24 मुल्ला कालोनी घडोली थाना गाजीपुर दिल्ली

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 97/2021 धारा 420,467,468,471,504,506 भा0द0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा



6-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाला हत्यारा अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.02.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाला हत्यारा अनिल पुत्र धर्मवीर गाँव उलर थाना सोरिख जनपद कन्नौज को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.01.2021 को बच्चे रितिक पुत्र ब्रह्मदेव राय नि० किरायेदार विजयपाल भाटी का मकान ग्राम गुलिस्तानपुर थाना सूरजपुर का अपहरण कर लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर गुमशुदा बच्चे रितिक उम्र 4.6 वर्ष उपरोक्त का शव साईड बी में ईष्ट इण्डिया कम्पनी के पीछे स्थित जंगल में एक दलदल से बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अभियुक्त अनिल द्वारा बताया गया कि उसने तथा दूसरे अभियुक्त विजय ने मृतक के पिता से पैसा प्राप्त करने के लिए रितिक का अपहरण उसके घर से बाहर खेलते हुए किया था। अपहरण के कुछ समय बाद ही दोनो ने मिलकर रितिक की हत्या करके उसके शव को दलदल में छिपा दिया था। अभियुक्त की निशादेही पर अपृहर्त बच्चे रितिक के शव को बरामद किया गया है तथा दूसरे अभियुक्त विजय की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने फिरौती के लालच में सह अभियुक्त विजय के साथ मिलकर करीब 05 वर्ष के बच्चे रितिक की हत्या जैसा घिनौना अपराध किया है। थाना सूरजपुर पर कायमी मु.अ.स. 53/2021 धारा 363 भादवि से तरमीम धारा 364,302,201 भादवि में किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-अनिल पुत्र धर्मवीर गाँव उलर थाना सोरिख जनपद कन्नौज

अभियोग का विवरण-

1-मु.अ.स. 53/21 धारा 364,302,201 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 12.02.2021 को थाना कासना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डाढा में एक लावारिस बच्चा मिला जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजू उर्फ नितेश पिता का नाम संजीव बताया लेकिन अपना पता नहीं बता पा रहा था । थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीसीआर से एनाउंसमेंट व अन्य माध्यमों से जानकारी कर उसके पिता संजीव पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल निवासी ग्राम निजामपुर थाना कुडोन जिला जालौन वर्तमान निवासी सत्यवीर सिंह का मकान ग्राम डाढा थाना कासना को सकुशल सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा बच्चे को पाकर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।